न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 94 / 2016

प्रविष्टि दिनांकः— 28—07—2016

अजीज पुत्र गुलाम हुसैन जाति मुसलमान निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 ..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक राज0 ..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 16.09.2015 मि0सं0 588 / 2015

उपस्थितः (1)श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलाण्ट

(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 की और से

निर्णय

दिनांक 07—04—2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि0 22.09.2015 द्वारा ग्राम लाम्बाहरिसिंह के खसरा नम्बर 533 / 1 रकबा 44.19 बीघा भूमि में से 0.18 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार व बाडा बना रखा है जिस पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 50 / —रू0 पेनल्टी आरोपित की है तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 16.09.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर गये महज पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट का चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है न ही अपीलाण्ट ने कब्जा कर रखा है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पूर्व में अपीलाण्ट को दण्डित किया गया हो। धारा 91 के नोटिस में गत वर्ष अतिक्रमण किये जाने का वर्ष अंकित नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती मानकर नोटिस दिया गया हो। को किस वर्ष में अतिक्रमण करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने से पूर्व पडोसी निष्पक्ष गवाहान के बयान नहीं लिये है, अपीलाण्ट को आज तक वास्तविक रूप से बेदखल नहीं किया गया, बयान पटवारी हलका भी पत्रावली में संलग्न नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलाण्ट की पक्की दीवार आबादी भूमि में स्थित है जिसकी मौका रिपोर्ट मंगवायी जा सकती है। अपीलाण्ट के विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट में कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 16.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाण्ट ने इसी विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल भी कर दिया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से सिद्व है। पुनः इसी भूमि पर सम्वत 2072 में अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पक्की दीवार व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्व है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है और उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2015 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का लाम्बाहरिसिंह ने अपीलाण्ट द्वारा सम्वत 2072 में ख0नं0 533/1 रकबा 44.19 में से रकबा 0.18 बीघा वाके ग्राम लाम्बाहरिसिंह पर पक्की दीवार व बाडा बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी को आधार मानते हुए तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 16.09.2015 में अतिक्रमी अपीलाण्ट को अतिचारी घोषित करते हुए बेदखल करने व 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जो नोटिस अपीलाण्ट को जारी किया गया है उसमें सम्वत 2072 में अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख है किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण का वर्ष अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है और न ही उसने गत वर्ष अतिक्रमण किया था। बयान पटवारी हलका पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं अपीलाण्ट के विरूद्व गत वर्ष जो बेदखली की कार्यवाही चली उसकी कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं की है जो सिविल कारावास जैसी सजा के अन्तर्गत आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलाण्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने जैसीं कोई ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व हो। पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के संबंध में सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलाण्ट को पूर्ण साक्ष्य सबूत पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 16.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 07.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राज0

Scanned by CamScanner